पत्र संख्या–न्याय–व0प्रशा0प0 / 2019–20 / 817 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2019

–:कार्यालय आदेश:–

National Company Law Tribunal (NCLT) दिनांक 01.06.2016 से प्रभावी है। NCLT, कम्पनियों, Limited Liability Partnership के Insolvency सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु गठित न्यायिक प्राधिकरण है। NCLT के समक्ष वादों की सुनवाई में वाणिज्य कर विभाग के देयक तथा बकाया वसूली सुनिश्चित किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यवाही होगी, इस हेतु माह सितम्बर, 2019 में लगभग 70 ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट) तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को इसका प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया है। यह आवश्यक होगा कि वाणिज्य कर, मुख्यालय स्तर पर भी NCLT की 27 पीठों में प्रतिदिन होने वाले मुकदमों की सुनवाई पर इसकी वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन सूचना एकत्र की जाए तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को उपरोक्त सूचना उसी दिवस अथवा अगले कार्य दिवस तक प्रेषित कर दी जाए, ताकि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्लेम प्रस्तुत किया जा सके। विभाग की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि विभाग में पंजीकृत किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई बकाया सृजित है अथवा सृजित की जाने वाली है तो वह बकाया वसूल हो सके। उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम–2017 की धारा–88 व 89 में भी उक्त से सम्बन्धित प्रावधान उल्लिखित हैं। NCLT से सम्बन्धित सभी मामलों में सम्यक सूचना, सम्यक पैरवी तथा सम्यक निर्णय हेतु, आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निम्न अधिकारियों को इस कार्य हेतु नामित किया जाता है। यह कार्य उन्हें अतिरिक्त रूप से आवंटित है, जिसे वे अपने वर्तमान कार्य दायित्व के साथ–साथ करेंगे तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतनभत्ता देय नहीं है। प्रतिदिन NCLT की वेबसाइट देखकर सूचनाएं, अधुनातन संचार साधनों का प्रयोग कर सम्बन्धित तक पहुंचाना, NCLT के सभी मामलों का पूर्ण विवरण, समीक्षा तथा इनके परिणाम पर प्रभावी अनुश्रवण भी इनका दायित्व होगा। NCLT से प्राप्त सभी पत्र इनके द्वारा उसी दिन सम्बन्धित को प्रेषित किये जाएंगे। यह समस्त अधिकारी ज्वाइण्ट कमिश्नर, संग्रह अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय के निर्देश में कार्य करेंगे। इन समस्त कार्यों हेतु संग्रह अनुभाग ही नोडल अनुभाग होगा।

क्र0सं0	नामित अधिकारी का नाम	पदनाम
1	ज्वाइण्ट कमिश्नर, संग्रह अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।	पदेन (अनुश्रवण हेतु नामित सदस्य)
2	श्री सुनील कुमार गुप्ता	असिस्टेंट कमिश्नर/असिस्टेंट डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
3	श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक संख्या अधिकारी, धारा–59 अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2– एडिशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

3– ज्वाइण्ट कमिश्नर, संग्रह अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से NCLT में विभागीय बकाया वसूली हेतु सम्यक पैरवी की जाए। नामित अधिकारियों के स्थान पर आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी नामित कराने का कार्य भविष्य में संग्रह अनुभाग द्वारा किया जाए।

4– ज्वाइण्ट कमिश्नर (धारा–59), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

5– ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्था0राज0), वाणिज्य कर, मुख्यालय।

6– सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से अनुपालनार्थ।

7– ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

एडिशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।